थारू जनजाति के सामाजिक परिवेश एवं मौलिक अधिकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के सन्दर्भ में

डॉ. रीता गौतम,
पी. डी. एफ. स्कॉलर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
एवं
प्रो. डी. आर. साहू,
समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश

सम्पूर्ण विश्व में अफ्रीका के पश्चात् सर्वाधिक जनजातियॉ भारत में ही निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियॉ हैं। भारतीय संविधान में जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संज्ञा दी गयी है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सर्वप्रथम पिछड़ी जनजातियों का सन्दर्भ मिलता है। इसी क्रम में 1936 के भारत सरकार आदेश की 13 वी0 अनुसूची में बम्बई ,वर्तमान मुम्बईद्ध मद्रास वर्तमान में चेन्नई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम की कुछ जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद.342 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से संबंधित जनजातियों या जनजाति समुदायों या इन समुदायों के किसी विशेष भाग को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता हैं। भारत विविधताओं का देश है यहॉ पर प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो राजनैतिक हो सांस्कृतिक हो या आर्थिक विविधताये पग पग पर दृष्टिगोचर होती है।

सूचक शब्दः ***थारू, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक परिवेश, मौलिक अधिकार***

परिचय

भारत की आदिवासी जनजातियॉ मूलत निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जनजातियों को विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियॉ मध्यप्रदेश राज्य 14.75 प्रतिशत उसके पश्चात् महाराष्ट 10.1 प्रतिशत उड़ीसा 9.21 प्रतिशत में निवास करती है। इनमें आदिवासी पहाड़ी जनजातियॉ, जंगली आदिवासी, प्राचीन जनजाति, जंगल निवासी, पिछड़ा हिन्दू विलीन मानवता इत्यादि नाम प्रमुख है। वर्तमान में इन्हें आदिवासी वन्यजाति, अरण्यवासी, गिरिजन इत्यादि अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है।

सन् 1931 की जनगणना में जनजातियों के लिए ट्राइबल शब्द का प्रयोग किया गया। परन्तु भारत सरकार ने 1948 में इस संवर्ग को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया और जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ उस समय सभी आदिवासी समूहों को आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए हुआ। उस समय सभी आदिवासी समूहों को आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए बनायी गयी अनुसूची में इनका नाम अंकित कर दिया गया। इस प्रकार जनजाति और अनुसूचित जनजाति को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा गया। इस पर लोक समिति ने आपत्ति जतायी और कहा कि टाइबल और अनुसूचित जनजाति के बीच अंतर रहना चाहिए। परन्तु राजनैतिक कारणों से यह अंतर स्थापित ना हो सका और संविधान की धारा.342 के अंतगर्त टाइबल कि निम्नांकित परिभाषा दी गयी।

संविधान की धारा .366 ;2जेद्ध के अन्तर्गत जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। श्अनुसूचित जनजाति का मतलब वैसे जनजाति जनजाति समुदाय या किसी जनजाति उपसमूह से है जिसका नाम संविधान की धारा . 342 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।श[1]

सामाजिक परिवेश

भारतीय संविधान में जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संज्ञा दी गयी है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सर्वप्रथम पिछड़ी जनजातियों का सन्दर्भ मिलता है। इसी क्रम में 1936 के भारत सरकार आदेश की 13 वी0 अनुसूची में बम्बई ;वर्तमान मुम्बईद्ध मद्रास वर्तमान में चेन्नई मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम की कुछ जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान युग के सामाजिक जीवन में राजनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का यह मतलब नही है कि पहले राजनीतिक का स्थान नही था वरन् अरस्तू एवं कई अन्य विचारकों के अनुसार राजनाति उतनी ही आवश्यक है प्राणी के लिये जितना कि मानव संगठन।

राजनीति ने सदा ही सामाजिक जीवन में निर्णायक भूमिका अदा की है और वर्तमान समय में यह भूमिका लगातार बढ़ रही है। थारू जनजाति में भी अन्य समुदायों कि भॉति ही राजनीतिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अपितु कालांतर कि अपेक्षा यह प्रभाव और बढ़ा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने सदा ही समाज के निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग को भ्रमित कर के अपना स्वार्थ सीधा किया है। इन परिस्थितियों में जनजाति समुदायों में राजनीतिक जागरूकता का महत्व और बढ़ जाता है। प्रस्तावित शोधकार्य के प्रमुख उद्धेश्यो में इस बात का आंकलन करना शामिल है कि राजनैतिक रूप से थारू जनजाति अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति अपने अधिकारों के प्रति एवं भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों एवं आरक्षण एतयादी के प्रति कितनी सजग है व पूर्व के वर्षो कि अपेक्षा उसमें कितना परिवर्तन आया है।

जब परिवार समाज में रहता है तो विभिन्न प्रकार के कानून उसके सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित करते है। विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए कानूनी जागरूकता का अत्यधिक महत्व हैं भारतीय संविधान द्वारा समय समय पर जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कानून बनाए गए है। वनाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 थारू जनजाति के संघर्षो का ज्वलंत उदाहरण है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, भिक्षावृत्ति बलात्श्रम, अश्प्रस्यता, देह व्यापार, बंधुवा मजदूरी अधिनियम इत्यादि ऐसी कई सामाजिक कुरीतियॉ भारतीय समाजों में व्याप्त है। जिनके लिए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

संविधानिक अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद.342 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश से संबंधित जनजातियों या जनजाति समुदायों या इन समुदायों के किसी विशेष भाग को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता हैं। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान है। मुख्यत इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। सुरक्षा तथा विकास। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 ;4द्ध, 16 ;4द्ध, 19 ;5द्ध, 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335 व 338, 339 ;1द्ध, 371 ;कद्ध ;खद्ध ;गद्ध पॉचवी सूची व छॅवी सूची में निहित है। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275;1द्ध प्रथम उपबंध तथा 339 ;2द्ध में निहित है। इस समय भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 366 ;25द्ध के अनुसार**श अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जाति समूह या उनके भाग अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समझा जाताहै।श**

अनुच्छेद 342 के अनुसार.**श राष्ट्रपति किसी प्रदेश या केन्द्रशासित क्षेत्र के सम्बन्ध में वहॉ के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों या समूहों को विर्निदष्ट कर सकेगाए जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस प्रदेश या केन्द्रशासित प्रदेश के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति समझा जाता है।श** इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि.

- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश स्तर पर तैयार होती है। राष्टीय स्तर पर नहीं।

- किन जातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जाए यह निर्णय राज्यों के राज्यपालों के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए पॉच विशेषताओं का होना आवश्यक है।
- आदिम लक्षण।
- विशिष्ट लक्षण
- भौगोलिक पृथक्करण
- दूसरे समुदायों से सम्पर्क में संकोच
- पिछड़ापन

भारत में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कई प्रावधान है। मुख्यत इन्हें दो भागों में बॉटा जा सकता है।

- सुरक्षा
- विकास

सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15;4द्धए 16;4द्धए 19 ;5द्धए 23ए 29ए 46ए 164ए 330ए 332ए 334ए 335ए 338ए 339 ;1द्ध 371;कद्ध ;खद्ध ;गद्ध तथा पॉचवी व छठी सूची में निहित है। अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275 ;1द्ध प्रथम उपबन्ध तथा 339 ;2द्ध में निहित है।

भारत मे अनुसूचित जनजतियां अस्पृश्यता, आदिम कृषि–प्रथा, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, भौगोलिक एकाकीपन जैसे गहन सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित रहे हैं अतः उनके हितों के संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा हेतु भारत सरकार मे संवैधानिक स्तर पर अधिनियम बना कर तथा दंड संहिता मे विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा

- एस0सी0ध्एस0टी0 एक्ट ;अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम ;1989द्ध
- ए0सी0ध्एस0टी0 ;अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम संशोधन एक्ट ;2015द्ध
- वन आधिकार संरक्षण अधिनियम ;2006द्ध
- राष्टीय जनजाति आयोग
- लोक अदालत व्यवस्था
- निशुल्क कानूनी सहायता राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण
- अस्पृश्यता ;अपराधद्ध अधिनियम 1955 ;अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976द्ध
- बंधित श्रम पद्धति ;उत्पादनद्ध अधिनियम 1976
- बाल मजदूरी अधिनियम
- भूमि हस्तान्तरण एवं भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 2013 व 2015

थारू जनजाति की उत्पत्ति एवं इतिहास

थारू जनजाति के इतिहास की बात करे, तो थारू जनजाति का इतिहास अत्यन्त अन्धकारमय रहा है। इनका उद्भव उद्गम घने क्षेत्रों, प्राणघाती परिस्थितियों और विषम वातावरण के मध्य अद्मय साहस से अस्तित्व की लडाई लड़ रहे है। मानव जीवन की आगम्यता का प्रतीक है।

हजारों वर्षो से विश्व से अपने को छिपाये हुए थारू जनजाति की ओर सर्वप्रथम अॅग्रेज शोधकत्ताओं का ध्यान गया और उन्होंने तराई क्षेत्र के साथ ही थारूओं की उत्पत्ति एवं इतिहास का अनुसंधान एवं अन्वेषण प्रारम्भ किया, किन्तु विभिन्न

स्थानों पर हुए भिन्न भिन्न अन्वेषणों स्थानीय साक्ष्य, परिस्थिति जन्म प्रमाणों के पुष्टिकरण के अभाव के कारण उनमें एकरूपता न हो सकी साथ ही वांछित प्रगति भी मन्द रही।

1857 के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में नेपाल की तत्कालीन सरकार को अग्रेंजों की सहायता के पुरस्कार स्वरूप अॅग्रेजों ने तत्कालीन नेपाल सरकार को बीहड़ वनों से आच्छदित तराई के सुदूर पश्चिमी नेपाली सीमा से जुड़े चार जिले नेपाल को भेंट किये थे।

यह जिले भारतीय थारू जनजाति बाहुल्य दुर्गम जंगली क्षेत्र थे तथा इस क्षेत्र के नेपाल में विलय से नेपाल का लगभग सम्पूर्ण तराई पट्टी थारू बाहुल्य हो गयी, जो नेपाली संस्कृति से सर्वथा अलग थी तथा इनका रहन.सहन, खान.पान, वेशभूषा यहॉ तक की इनकी बोली भी भारतीय संस्कृति के निकट थी।

यू तो कुछ एक थारू भारतीय सीमा में आने वाले हिमाचल के तराई में रहते थे। किन्तु इनका विशेष निवास स्थान नेपाल जिले की तराई क्षेत्रों में, बिहार से लेकर खटीमा सितारगंज तक फैली इस जनजाति को थारू शब्द से उद्बोधित किया जाता है। नेपाल की तराई में भी इस जनजाति को थारू ही कहा जाता है। इस उद्बोधन शब्द थारू की उत्पत्ति के विषय में समाजशास्त्री एवं इतिहासकार एक मत नहीं है।

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में थारू जनजाति

सन् 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग ;मुख्यतयाः पहाड़ी क्षेत्रद्ध के उत्तरांचल ;वर्तमान में उत्तराखण्डद्ध राज्य का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाला गंगा यमुना का मैदान है। लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश न केवल भारत का अधिकतर जनसंख्या वाला प्रदेश है, वरन् विश्व में केवल पॉच राष्ट चीन, स्वयं भारत, संयुक्त अमेरिका, इण्डोनेशिया एवं ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है।

उत्तर प्रदेश क लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली दुधवा, बनकटी तथा सोनपुर वन क्षेत्रों में निवास करने वाली थारू जनजाति पर किया गया है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या पर आधारित सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी है तथा इलाहाबाद इसकी न्ययायिक राजधानी है। प्रदेश में कुल जिले 75 है। प्रदेश मे तहसीलों की संख्या 350, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,51,660 जिसमें विभिन्न अनुसूचित जातियॉ जैसे भोटिया भुक्सा जौनसारी राजी थारू गोंड सहवार सहरिया पहरिया बैगा पनिका अगरिया पटारी छेरू तथा भुनिया इत्यादि शामिल है। जोकि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 6,199,8234 का 0.52 प्रतिशत है। इनमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर गोंड ;5,69,035द्ध द्वितीय स्थान पर कहरवार ;1,60,673द्ध तथा तृतीय स्थान पर थारू जनजाति ;1,05,291द्ध है। जिसमें थारू पुरूषों की संख्या ;53,687द्ध तथा महिलाओं की संख्या ;51,604द्ध हैं।

उत्तर प्रदेश कि समस्त अनुसूचित जनजातियों में थारू जनसंख्या का प्रतिशत 10.01 है। जिसमें शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली थारू जनसंख्या 8,671 है जोकि कुल थारू जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली थारू जनसंख्या 96,620 है। जोकि सम्पूर्ण थारू का 91.76 प्रतिशत है। अर्थात् सम्पूर्ण थारू जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

थारू जनसंख्या का प्रमुख रूप से विस्तार खीरी जनपद ;47,628द्ध जनपद बलरामपुर ;24,030द्ध तथा बहराइच ;10,641द्ध में है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के अन्तर्गत पलिया विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण थारू जनजाति के अध्ययन पा आधारित है।

शोध क्षेत्र ;लखीमपुर खीरी का परिचयद्ध

लखीमपुर खीरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासकीय राजधानी लखीमपुर खीरी शहर है। लखीमपुर खीरी जिला लखनऊ मण्डल का एक हिस्सा है। जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।

प्राचीन इतिहास लखीमपुर खीरी क्षेत्र का

लखीमपुर खीरी वस्तुत दो क्षेत्र लखीमपुर और खीरी। लखीमपुर पूर्व में लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाता था। खीरी लखीमपुर शहर से दो किलोमीटर दूर कस्बा है। खीरी शहर नाम की उत्पत्ति मुगल शासक सैयद खुर्द जिनकी मृत्यु सन् 1563 में हुई थी, के मकबरे के ऊपर बने अवशेष शहर के रूप में हुई है। एक अन्य मत के अनुसार खीरी नाम की उत्पत्ति खैर के वृक्षों से ली गयी है। खीरी क्षेत्र पूर्व में खैर के वृक्षें से आच्छदित था।

साहित्यिक सर्वेक्षण

नार्थ वेस्टर्न प्रोविसेज सेन्सस जनगणना रिपोर्ट.1867 वॉल्यूम 1, पृष्ठ 66 के अनुसार भी थारू शब्द की उत्पत्ति **श्थरूऑश** शब्द से ही हुई है। इसके अतिरिक्त इस थारू शब्द की उत्पत्ति के विषय में अन्य धाराणाएँ निम्न प्रकार से है. जनगणना प्रतिवेदन 1867 में थारू शब्द की व्युत्पति **श्तरूवाश** शब्द से मानी गयी है। जिसका साधारणत अर्थ **श्**भीगनाश होता हैं। जिसका तात्पर्य तराई क्षेत्र में होने वाली अत्यधिक वर्षा की प्रवृत्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ विद्वान इन्हें राजपूतों का वंशज मानते हैं। थारू लोग भी अपने को राजपूतों का ही वंशज मानते है।

एस0 नावेल्स ने गौस्पेल इन गोण्डा, पृष्ठ 214 में इन्हें **श्थारूआश** नाम से सम्बोधित किया है। थारूआ का अर्थ होता हैं **श्एक पथिक या पैदल चलने वालाश** चूँकि इस जनजाति के लोगों में पैदल चलने की अत्यणिक क्षमता थी, अतः इसी विशेषता के आधार पर इन्हें थारूआ कहा गयां जो कालान्तर में थारू शब्द के रूप में परिणित हो गया।

ए0जे0सी0 नेसफील्ड ;1885.115द्ध के अनुसार थारू शब्द की उत्पत्ति **श्ए मैन ऑफ फारेस्टश** ;उस समय थारू शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में जंगलवासी से लगाया जाता थाद्ध से है। चूँकि यह लोग यहॉ के स्थायी निवासी थे और सदियों से जंगल में निवास करते आ रहे थे। अतः इसी कारण इन्हें थार से सम्बोधित किया जाता था। समय बदलता गया और साथ ही बदलते समयान्तराल में थारू का थार शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया।

ए0 डब्लू कुक के अनुसार थारू शब्द का अर्थ ूपदम ठपइइमत;अधिक शराब का सेवन करने वालेद्ध से है। अवध गजेटियर ;1887.126द्ध में थारू शब्द की उत्पत्ति ताहरे से मानी गयी है। जिसका शाब्दिक अर्थ पड़ाव डालना है। चूँकि यह लोग दूसरे स्थानों से आकर इस क्षेत्र में बसे हुए थे अर्थात् पड़ाव डाले हुए थे। अतः इसी वजह से इन्हें श्ताहरेश कहा जाने लगा। जिसे कुछ समय बाद थारू शब्द से सम्बोधित किया गया।

जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ;1887.450द्ध में इस जर्नल के लिए **श्अथवारूश** शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका तात्पर्य **श्निजी का आठवॉ दिनश** अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जो सप्ताह में एक दिन अपने मलिक के यहॉ बेगारी करने को बाध्य होता था।

डा0 बुचमैन ने थारूओं की उत्पत्ति गोरखा या पहाड़ों से हुई है कहा। डा0 मजूमदार ने थारूओं की पहचान मंगोलाइड से की है। इनका उद्गम मध्य एशिया के मूल निवासी मंगोलों से बताते है और कुछ लोग इन्हें भारत.नेपाल के आदिम निवासी सिद्ध करते है। वस्तुतः थार शब्द अपने पड़ोसी समुदायों के लिए विशिष्ट वनवासी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, गॅवार ;मूर्खद्ध लोकजीवन, दर्शन आदि का बोधक हो चुका है।

उत्तर प्रदेश डिस्टिक गजेटियर ..संकरण 1992, के अनुसार उपरोक्त मतों के अतिरिक्त इस शब्द की उत्पत्ति तरूआ, गीला, अत्यधिक शराबविद्ध, मंदिरा, संस्कृत शब्द स्थल के अपभ्रंश ..थल, थारस और तराई इत्यादि शब्दों से भी इंगित होता है।

शहिस्टी ऑफ बुद्धिज्मश इन इण्डिया जिसके लेखक तारानाथ लाम्बा है और जिसका अनुवाद रिगजीन लण्डुप्ला ने किया,में स्पष्ट किया कि थारू मंगोल मूल के है।

विलियम कुक ;1857द्ध के अनुसार थारूओं में गंगा यमुना से लेकर हिमालय की गोद तक की भूमि को आबाद कर गुलजार बनाया। इसलिए थारू इस क्षेत्र में सभ्यता के अग्रदुत है। ;जेम ज्तपइम ंदक बेंजम व िजीम दवतजी ूमेजमतद पदकपं टवसप1.4द्ध

अनुसंधान विधि

प्रस्तुत शोधपत्र में अन्वेषणात्मक तथा वर्णात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग कर क्षेत्रकार्य सम्पन्न किया गया है। शोधपत्र को वैज्ञानिक रूप से पूर्ण तथा विश्वसनीय बनाने के लिये प्राथमिक व द्वितीयक ऑकड़ों व सेत्रों का भी प्रयोग किया गया है।

आंकड़ा संकलन

इस शोध लेख में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक स्त्रोतों में प्रत्यक्ष अवलोकन, पार्टिसिपेट्री रुरल अप्रेज़ल एवं विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, निदर्शन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय आंकड़ों (सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं और शोध लेख) का प्रयोग किया गया है। शोधपत्र से संबंधित साहित्यों का अध्ययन तथा इलेक्टॉनिक मीडिया पर उपलब्ध सरकारी वेबसाइटों का भी अवलोकन किया गया हैं

आंकड़ा विश्लेषण

थारू जनजाति के मध्य कानूनी जागरूकता कितनी है। इसकी जानकारी के लिए शोधार्थिनी ने साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर उत्तरदाताओं से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़ों का संकलन किया गया है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
एस. सी. एस. टी. एक्ट व संसोधन	123	82प्र00:	95	79प्र00:
संवैधानिक अधिकार व आरक्षण	144	96प्र00:	101	84प्र00:
वनधिकार संरक्षण अधिनियम	106	71प्र00:	76	63प्र00:
राष्ट्रीय जनजाति आयोग	96	64प्र00:	62	52प्र00:
लोक अदालत व्यवस्था	92	61प्र00:	66	55प्र00:
निशुल्क विधिक सहायता	101	67प्र00:	61	51प्र00:
अश्प्रश्यता (अपराध) वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	56	37प्र00:	25	21प्र00:
बंधित श्रम पद्धति	84	56प्र00:	59	49प्र00:
बाल मजदूर अधिनियम	103	69प्र00:	73	61प्र00:
भूमि अधिग्रहण अधिनियम	126	84प्र00:	95	79प्र00:

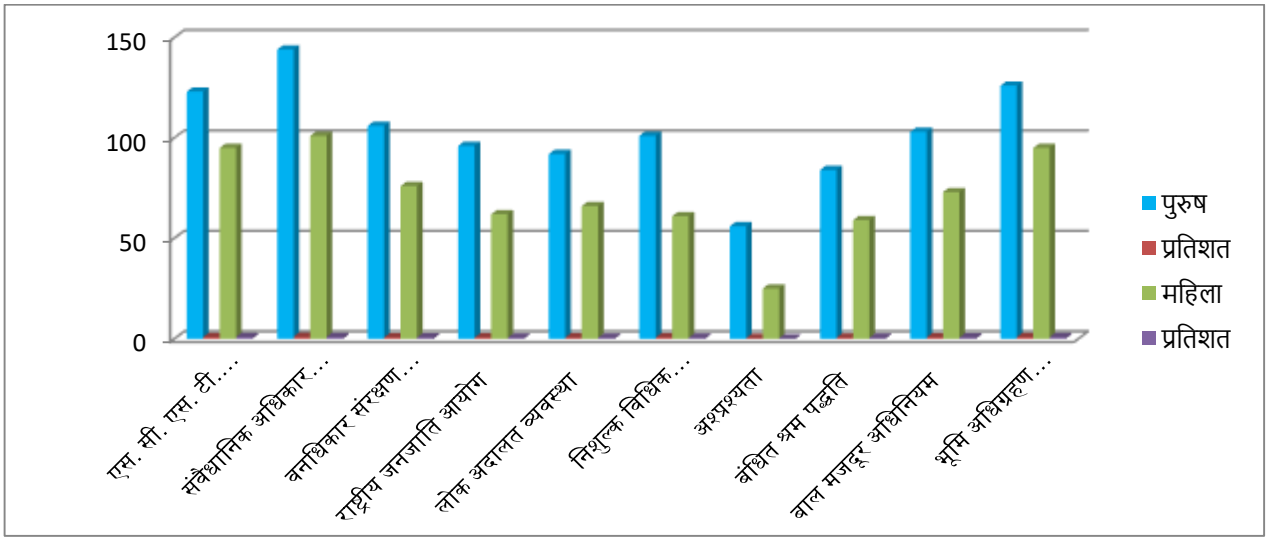

उपरोक्त ऑकड़ो से यह स्पष्ट है कि 96 प्रतिशत पुरूषों व 89 प्रतिशत महिलाओं को यह पता है कि उन्हे भारतीय संविधान द्वारा सरकारी सेवाओं व अन्य अवसरों में आरक्षण प्रदान किया गया है परन्तु आरक्षण का आधार व प्रतिशत की जानकारी विशेषतया थारू महिलाओं को नही है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
संवैधानिक आरक्षण क्या है	142	94ण्60:	98	81ण्66:
आरक्षण का लाभ कहाँ- कहाँ है	125	83ण्30:	67	55ण्83:
आरक्षण कितने प्रतिशत है	62	41ण्33:	25	20ण्83:
आरक्षण का क्या आधार है	78	52ण्00:	32	26ण्66:
आरक्षण से कभी किसी प्रकार से लाभान्वित हुए है	106	70ण्66:	62	51ण्66:

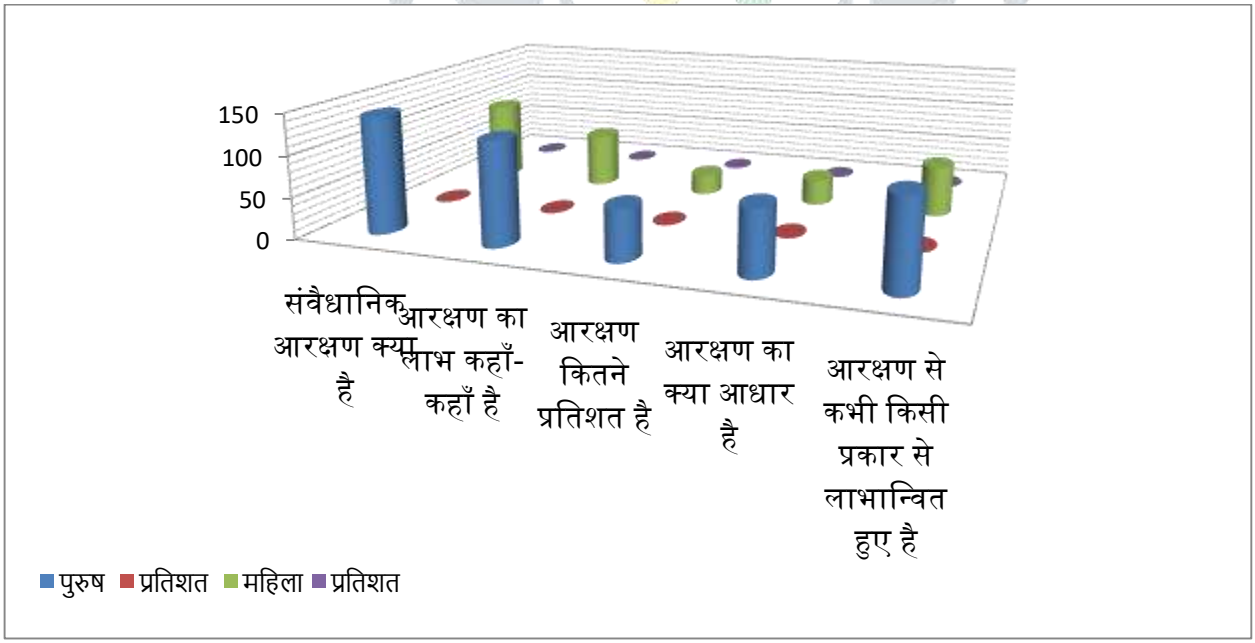

उपरोक्त ऑकडो से स्पष्ट है कि लगभग 70.66 प्रतिशत थारू पुरूषों तथा 51ण्6 प्रतिशत थारू महिलाओं (जिनमें विशेषतया युवा वर्ग शामिल है) ने माना कि वे संवैधानिक आरक्षण से किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
वनाधिकार संरक्षण अधिनियम देश में कहाँ-2 लागू है	62	41ण्30:	53	44ण्16:
भूमि पट्टा कितनी जमीन का होगा	51	34ण्00:	21	17ण्50:
भूमि पट्टा किस के नाम पर होगा	42	28ण्00:	8	6ण्66:
वन संसाधनों पर किस प्रकार का अधिकार होगा	49	32ण्66:	37	30ण्83:

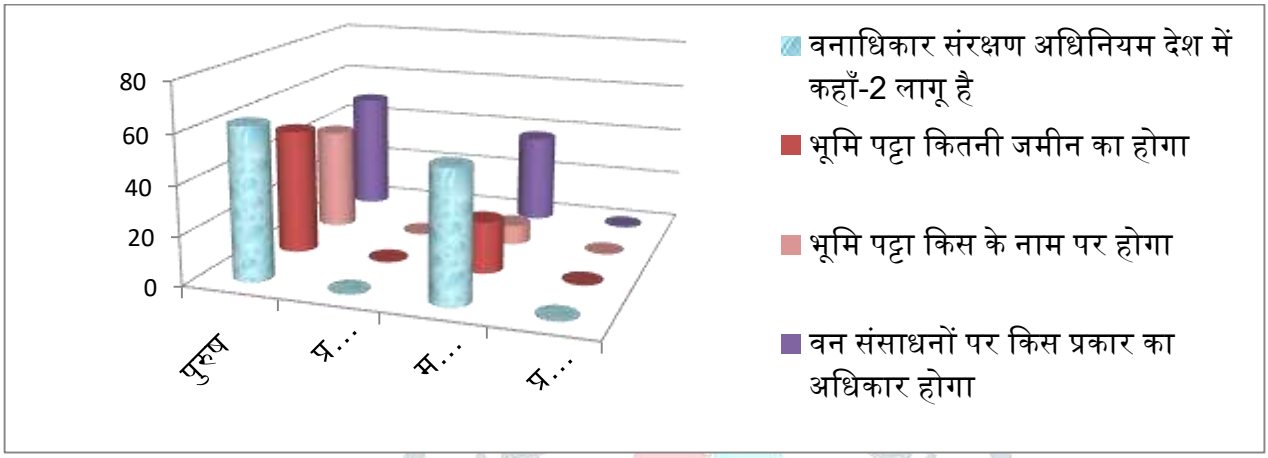

ऑकड़ो से स्पष्ट है कि 41ण्3 प्रतिशत था पुरूषों तथा 44ण्6 प्रतिषत थारू जनजाति के लोगो को यह ज्ञात है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी है। भूमि पट्टा पति – पत्नी के नाम बराबर–बराबर तथा 10 एकड़ की जमीन का पट्टा प्रति परिवार होगा इसका ज्ञान के तहत 34 प्रतिशत थारू पुरूषों तथा 17.5 प्रतिशत थारू महिलाओं को है। अतरू स्पष्ट है कि थारू जनजाति में वनाधिकार अधिनियम के विषय में जागरूकता का अभाव है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
मजदूरी के लिये न्यूनतम आयु कितनी है	71	47ण्33:	54	45:
न्यूनतम मजदूरी कितनी है	51	34ण्00:	33	27ण्50:
मजदूरी के लिये अधिकतम आयु कितनी है	102	68:	67	55ण्83:
अन्य अधिकार जैसे कारखानों इत्यादि में	21	14:	16	13ण्33:

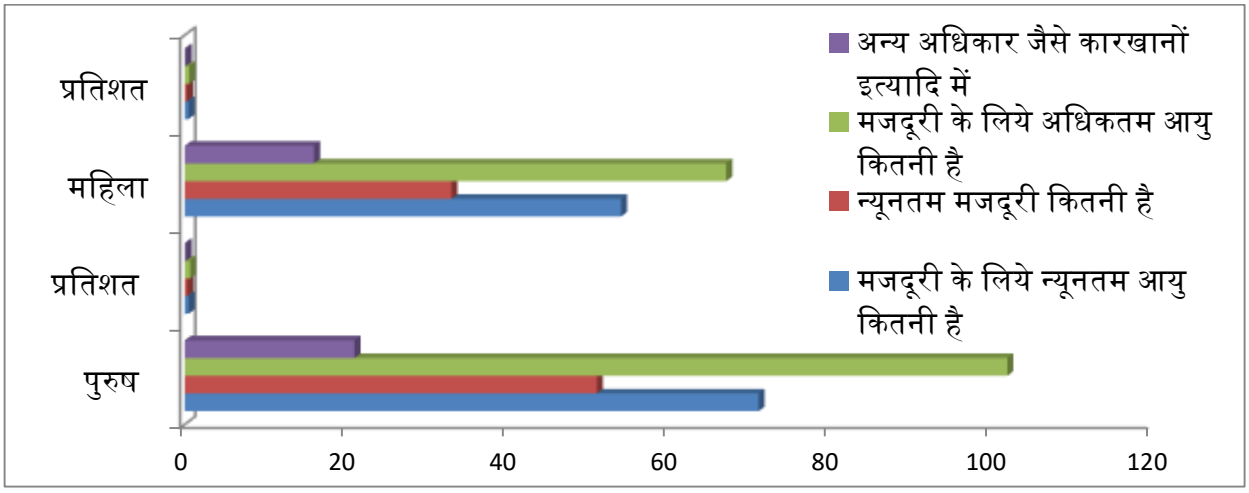

उपरोक्त ऑकड़ो से स्पष्ट है कि केवल 34 प्रतिशत तथा 27ण्50 प्रतिशत थारू पुरूषों एवं महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की जानकारी है। केवल 68 प्रतिशत थारू पुरूषों तथा 55.83 प्रतिशत महिलाओं में जागरूकता देखने को मिलती है, इसी के साथ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा तथा चिकित्सा इत्यादि की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके विषय में भी थारू जनजाति में जागरूकता का अभाव दृष्टिगत होता है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (छ।सै।द्ध की निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी है	100	66ण्66:	61	50ण्53:
निशुल्क विधिक सहायता की क्या पात्रता है	48	48ण्00:	25	40ण्00:
क्या निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की है	5	10ण्00:	0	0ण्00:

भारतीय संविधान द्वारा निर्धन, असहाय, अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग के लिए मुक्त विधिक सहायता के लिए छ।सै। के अर्न्तगत प्रावधान किया गया है।

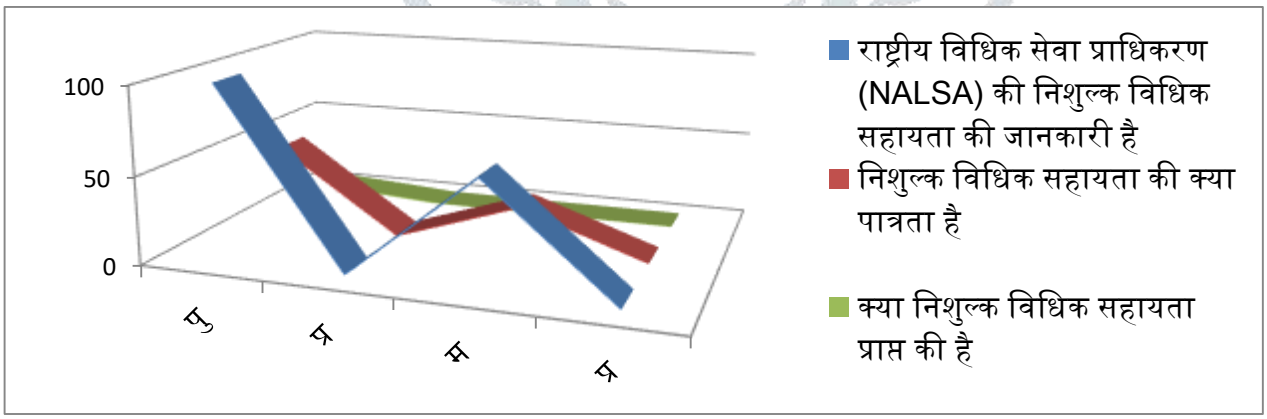

ऑकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 66 प्रतिशत थारू पुरूष व 50.83 प्रतिशत थारू महिलाओं में लोक अदालत व्यवस्था व मुक्त विधिक सहायता के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है। जिनमें विशेषतया युवा वर्ग शामिल है।

	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है	126	84:	95	79ण्16:
भूमि अधिग्रहण अधिनियम से कौन-कौन प्रभावित है	117	78:	92	76ण्67:
न्यूनतम मुआवजा राशि दर कितनी है	96	64:	72	60:
भूमि अधिग्रहण से आजीविका गँवाने वालों के लिये क्या प्रावधान हैं	102	68:	64	53ण्33:
मुआवजा राशि मिलने की न्यनतम अवधि कितनी है	89	59:	69	57ण्50:
पुनर्वयस्थापन की क्या व्यवस्था है	78	52:	56	46ण्66:

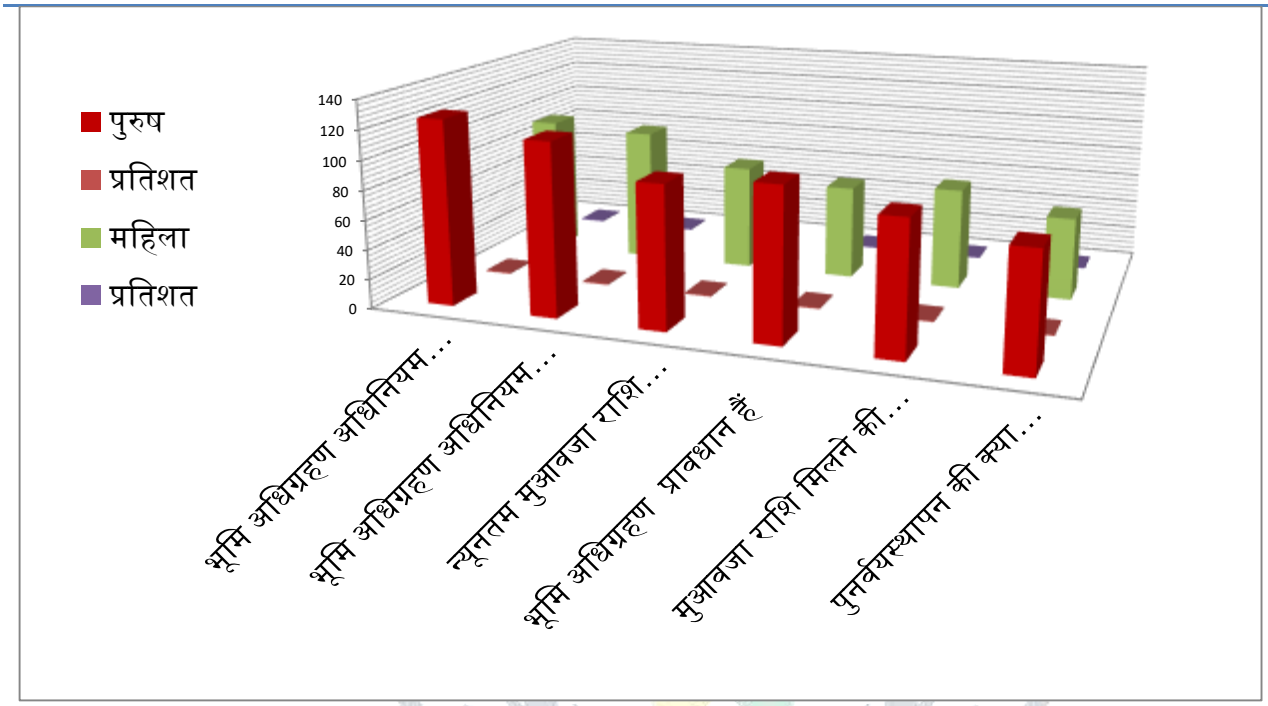

भूमि अधिग्रहण अधिनियम का भारतीय परिपेक्ष्य में जनजातियों के उत्थान में विशेष महत्व रहा है। विकासोन्मुख देश होने के नाते भारत में समय–समय पर कई विकास कार्यो को गति मिलती रही है।

साक्षात्कार से प्राप्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 84 प्रतिशत थारू पुरूष व 79 प्रतिशत थारू महिलाओं ने इस अधिनियम के विषय में जागरूक नही है केवल 64 प्रतिशत व 60 प्रतिशत थारू पुरूषों व माहिलाओं में न्यूनतम मुआवजा राशि की जानकारी है। 68 प्रतिशत थारू पुरूष तथा 57 थारू महिलाएं इस विषय में जागरूक है कि मुआवजे की धनराशि किस अवधि तक मिल जानी चाहिए।

सरकार का यह भी दायित्व है कि समय–2 पर नुक्कड़ नाटकों तथा कार्यशालाओं एवं शिवरों का आयोजन करके इन विधि प्रावधानों से थारू जनजाति को अवगत कराये जिससे वे अधिक संख्या में लाभान्वित होकर अपना सर्वागीण विकास सुनिश्चित कर एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, कि यद्यपि जनजातियों के विकास एवं संबर्धन के लिए सरकार समय–2 पर विभिन्न अधिनियम तथा विधि निर्माण करती रही है, साथ ही कई पुराने चले आ रहे अधिनियमों में संशोधन भी किए गए है परन्तु व्यापक जागरूकता के अभाव में वे आज भी काफी हद तक निष्प्रभावी हो रहे है।

निष्कर्ष

भारत के लगभग प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय समुदाय निवास करता है। यदि सम्पूर्ण विश्व की बात करे तो अफ्रीका के पश्चात् भारत में ही सर्वाधिक जनजातियॉ पायी जाती है। भारतीय जनजातियॉ आर्थिक शैक्षणिक एवं राजनैतिक स्तर पर अत्यन्त ही पिछड़ी हुई है। भारतीय जनजातियों में उच्च शिक्षा समृद्ध आर्थिक विकास सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक जागरूकता की कमी दृष्टिगोचर होती है।

एस0सी0/एस0टी0 संवैधानिक आधार पर प्राप्त सुरक्षा वनाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, निषुल्क विधिक सहायता व लोक अदालत व्यवस्था, बंधुआ मजदूर पद्धति बालश्रम तथा भूमि अधिकार (अधिग्रहण) संरक्षण अधिनियम इत्यादि ने जनजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। एस0सी0/एस0टी एक्ट के विषय में थारू जनजाति में विशेष जागरूकता देखने को मिलती है परन्तु एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के विभिन्न प्रावधानों से आज भी एक बड़ा प्रतिशत अनभिज्ञ है।

बंधुआश्रम (बलात् श्रम) तथा बाल मजदूरी किसी भी समुदाय के लिए अभिशाप के समान है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा बंधुओं श्रम (बलात्श्रम) तथा बाल मजदूरी सभी वर्ग के समुदायों के निषिद्ध घोषित किया गया है परन्तु समाज का एक बड़ा मजदूर वर्ग जनजातीय समुदाय से आता है अतरू यह अधिनियम जनजातीय वर्ग के लिए वरदान के समान है परन्तु पर्याप्त जागरूकता के अभाव में थारू जनजाति का मजदूर समुदाय इसके लाभों से वंचित है।

वनाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 ने जनजातियों के अस्तित्व के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु वर्तमान परिवेश में थारू युवा वर्ग जो इस अधिकार के लिए किए गए संघर्ष का साक्षी नही रहा है उस वर्ग विशेष में इस अधिनियम के विषय में जागरूकता का अभाव है।

भारतीय संविधान द्वारा निर्धन, असहाय, अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग के लिए मुक्त विधिक सहायता के लिए छ।सै। के अर्न्तगत प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ,छ।सै।द्ध के अर्न्तगत लोक अदालतों का आयोजन प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर किया जाता है, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता एवं मामलों का तेजी से निपटारण सुनिश्चित किया जाता है, ऑकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 66 प्रतिशत थारू पुरूष व 50.83प्रतिशत थारू महिलाओं में लोक अदालत व्यवस्था व मुक्त विधिक सहायता के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है।

अधिकाशत जनजातियॉ आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन वस्त्र एवं निवास के लिए संघर्ष कर रही है। यह अत्यन्त दुःखद एवं अविचारणीय परिस्थिति है कि देश का सभ्य समाज सरकार एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता इस विषय में लगभग मौन है। सभी जनजातीय समुदाय विशेषतयाः युवा जनजाति समुदाय को विशेष ध्यान एवं व्यवहार की आवश्यकता है।

थारूओं में पितृसत्ता, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परम्परा पायी जाती है। लेकिन समाज में महिलाओं का महत्व और भूमिका पुरूषों से कम नही ं होती। परिवार में बड़े–बूढ़ों के प्रति श्रद्धाभाव, आज्ञाकारिता और उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की परमपरागत बाध्यता के कारण ये कमाऊ व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार उत्पादक और उपार्जन सम्बन्धी कार्य करते हैं। इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूपसे कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। देश की अन्य जनजातियों की तरह थारू जनजातीय लोगों का आर्थिक जीवन आज भी कृषि पर ही पूर्ण रूपेण निर्भर है।

सन्दर्भ सूची

1. डॉ0 विद्या सिंह चौहान, डॉ0 श्रीमती राय, भारत की जनजातियाँ (उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में) ट्रान्समीडिया प्रकाशन श्रीनगर

2. अग्रवाल, साधना 1989 उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन, शोध प्रबन्ध (अ0प्र0), रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय।

3. बिष्ट, बी0 एस0 1993 थारू जनजाति में सामाजिक संगठन के स्वरूपएवं उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव, मानव, एन्थ्रोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी, लखनऊ।

4. बिष्ट, बी0 एस0 1994 ट्राइब्स ऑफ इण्डिया–नेपाल–तिब्बत, बार्डर लैण्ड,''ए स्टडी आफ कल्चरल ट्रासफामेंशन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

5. बिष्ट, बी0 एस0 1996 उततराखण्ड की जनजातियाँ एवं जातीय समीकरण। इन उत्तराखण्ड टू डे (इडी) बोर्ड के0एस0 वाल्दिया, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा। 86

6. बर्मन, बी.के. राय 1972 ट्राइब्ल डेमोग्राफी, इन ट्राइब्ल सिचुएशन इन इण्डिया, (ई.डी.) के. एस. सिंह. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला। पृ.सं. 5.

7. बाबू बी.वी. 1993 ए पोपुलेशल जेनेटिक स्टडी आफ सबट्राइब्स माली फ्रोम आन्ध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम्।

8. ब्राउन रेडक्लिफ, ए0आर0 1950 इन्ट्रोडक्शन इन अफ्रीका सिस्टम ऑफ काइनशिप एण्ड मेरिज, (इडी) लन्दन, आंक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस।

9. घुरिये, जी.एस. 1969 कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, रिपाप्रिंट, पापुलर प्रकाशन, बम्बई। पृ. सं. 74 जनगणना प्रतिवेदन 1951–2001 विभिन्न वर्षो की जनगणना आख्यायें।

10. लुण्डबर्ग, जार्ज ए 1951 सोशल रिसर्च, लौगमैन, ग्रीन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क। मजूमदार, डी. एन. 1944 द फोरच्यून्स ऑफ ट्राइब्स, यूनिवर्सल लखनऊ।

आभार

मैं **डॉ. रीता गौतम** समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से पी.डी.एफ. ;आई. सी. एस. एस. आर.द्ध कर रही हूँ। मैं अपने दिशानिर्देशक **प्रो. डी. आर. साहू** जी का ह्दय से आभार प्रकट करती हूँ। उनके पथ प्रदर्शन एवं सहयोग द्वारा ही मेरा यह शोधपत्र पूर्ण हो पाया है, इसी के साथ मैं **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली** का भी सह्दय से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो वित्तीय सहायता मुझे प्रदान की गयी है। उसके द्वारा ही मेरा यह शोधपत्र पूर्ण हो पाया है , साथ ही शोध का कार्य भी शीघ्र अतिशीघ्र सम्पन्न होने का ओर अग्रसर है।

अतः मैं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के लिए सदैव आभारी रहूँगी।